

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक:-

६३६(३)

शेखर चन्द्र वर्मा,
संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन।

पटना, दिनांक :- १५/११/१६

विषय :- चिकित्सा पदाधिकारियों के पद पर हुए पदस्थापन के संबंध में।

प्रसंग:- MJC सं०...../२०१६ प्रवीण पीटर शाह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष २०१५ में अधिसूचना सं० २५३(३), २५४(३), २५५(३) एवं अधिसूचना सं० २५६(३) दिनांक ३०.०६.२०१५ द्वारा क्रमशः सदर अस्पताल में उपाधीक्षक, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, जिला भेक्टर बौर्न डिजिज नियंत्रण पदाधिकारी एवं अपर उपाधीक्षक सह सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग के पद पर पदस्थापित किया गया था। यह पदस्थापन जिला में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी के वरीयता के आधार पर किया गया था।

ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि कतिपय वरीय चिकित्सकों का पदस्थापन इन पदों पर नहीं हुआ है एवं उनसे कनीय चिकित्सक पदस्थापित हो गये हैं। अतः आप से अनुरोध है कि अगर आपके जिला में ऐसा कोई मामला है तो इस संबंध में अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाये जिससे की ऐसे मामलों पर ससमय नियमानुसार कार्रवाई किया जा सके।

ह०/-

(शेखर चन्द्र वर्मा)

संयुक्त सचिव,


स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना।

आपका - ६३६(३)

दिनांक १५/११/१६

प्रतिलिपि:-

१. सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
२. आई० टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव,
स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना।